

Chapter 3

bihar board 9 class economics notes – गरीबी

गरीबी

इकाई की मुख्य बातें-गरीबी-भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है।

इस प्रकार गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते तथा उन्हें स्वच्छ जल तथा सफाई के अभाव को पूरा नहीं कर पाते हैं।

गरीबी का दुश्चक्र

(Vicious circle of poverty)

गरीबी के दुश्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है जिसमें कुछ ऐसे तत्त्व सम्मिलित हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्प विकास होता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'नवर्स' गरीबी के दृश्य की व्याख्या इस प्रकार की-“गरीबी का दुश्चक्र बताता है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियाँ एक-दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती हैं कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है।

सूचकांक द्वारा गरीबी की माप

सामान्यतया गरीबी प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं लेकिन अब गरीबी को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग-प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक

अपवर्तन और असुरक्षा पर आधारित गरीबी का विश्लेषण वर्तमान समय में बहुत ही सामान्य होता जा रहा है। क्योंकि इससे बेहतर माहौल से उनका मूल्यांकन किया जाता है।

गरीबी रेखा

योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रु० प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जो आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। गरीबी का आकलन समय-समय पर

सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एन. एस. एस. ओ.) के द्वारा कराया जाता है।

गरीबी के अनुपात

भारत में गरीबी का अनुपात वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत थी जो 1993 में घटकर 36 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2000 में यह अनुपात 26 प्रतिशत पर आ गया। नवीनतम अनुमान में भारत में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है।

असुरक्षित समूह

जो सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण खेतिहर मजदूर परिवार और नगरीय अनियत मजदूर तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवार है।

बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में

बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है जबकि उड़ीसा प्रथम जहाँ कि गरीबी का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2001-02 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का प्रतिशत बिहार में 42.6% है जबकि जम्मू और कश्मीर में यह प्रतिशत मात्र 3.5 है।

अनुपात 47.2 प्रतिशत है। बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है जबकि उड़ीसा प्रथम जहाँ की गरीबी का अनुपात 47.2% है।

गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं जो निम्न हैं-

1. जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का होना।
2. कृषि का अति पिछड़ापन होना।
3. पूँजी का अभाव होना।
4. प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव होना।
5. औद्योगिकीकरण का पूरी तरह से अभाव होना।
6. आय तथा धन की विषमता का होना
7. बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी का होना।
8. लंबे समय तक विदेशी शासन का जमे रहना।
9. प्रतिकूल सामाजिक वातावरण का पाया जाना।
10. यातायात के साधनों की कमी का पाया जाना।

गरीबी उन्मूलन के उपाय

भारत में गरीबी उन्मूलन के निम्न उपाय किए जा सकते हैं-

- (i) प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करना।
- (ii) जनसंख्या पर नियंत्रण रखना।
- (iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- (iv) देश का औद्योगिकीकरण करना।
- (v) पूँजी की व्यवस्था करना।
- (vi) यातायात के साधनों का विकास करना।
- (vii) आय तथा धन का समान वितरण।
- (viii) रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना।
- (ix) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना।
- (x) निवेश में वृद्धि करना।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं योजना में गरीबी दूर करने संबंधी विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं-

सरकारी प्रयास-

- (i) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम।
- (ii) राज्य रोजगार गारंटी कोष।
- (iii) मध्याह्न भोजन योजना।
- (iv) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।
- (v) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- (vi) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- (vii) जवाहर रोजगार योजना
- (viii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- (ix) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना,
- (x) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

गैर सरकारी प्रयास-

- (i) स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- (ii) सामूहिक खेती को प्रश्रय देना।
- (iii) सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
- (iv) स्वयं सहायता समूह का गठन करना।